मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को अखिल भारतीय परमिट

*357. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय द्वारा स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में शिक्षित बरोजगार व्यक्तियों को यात्री बसों तथा ट्रकों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अखिल भारतीय परमिट जारी किये गये हैं; और

(ख) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं तथा ये परमिट किस वर्ष से जारी किए गए हैं ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): (a) and (b) The Ministry of Shipping & Transport does not issue any kind of permits. It only specifies the number of permits which may be issued by the respective State Governments. Hence no record of allottees is maintained in the Ministry.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : सभापति जी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे जो परमिट जारी करते हैं उनका रिकार्ड भी नहीं रखते हैं औरपरमिट जारीभी नही करते हैं, लेकिन संख्या निर्दिष्ट करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में मैंने मध्य प्रदेश के विषय पूछा है कितने परमिट देने के लिए कितनी संख्या में ट्रक और बसेज के परमिट देने के बारे में आपने प्रदेश सरकार को कहा है, कितनी संख्या में ? बस और ट्रक का अलग अलग तीन वर्षों का ब्योरा दें।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I have figures for 1981-82.

MR. CHAIRMAN: Separately for buses and trucks.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Figures for one year are available with me. For other years, figures are not available. I can send to the hon. Member. In 1982, 1350 national permits for public carriers were specified for issue for the State of Madhya Pradesh ..... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: May I request you to read it again, because the hon. Member was not anxious to hear?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, in 1982, 1350 national permits for public carriers were specified for issue for the State of Madhya Pradesh. As per the information available, 760 national permits have been issued for various categories. I have got the figures for 1982. Other figures I have not got.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैंने तीन वर्ष के मांगे थे, दो वर्ष के परमिट की संख्या बाद में देंगें यह आश्वासन मिलना चाहिए। उन्होंने एक वर्ष का दिया है।

श्री सभापति : अभी आपको मंगवाकर दे देंगे।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: I will examine.

श्री प्यारेलाल खंडलवाल : मेरा दूसरा सवाल यह है कि जितनी संख्या में परमिट देने का निर्देश आपने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है, मैं जानना हूं कि उसमें से कितने परमिट शिक्षित बेरोजगारों को दिए गए हैं ?

श्री सभापति : ये फिगर्स आपके पास हैं ?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, there is no restriction that way. The State Government has certain rules and we have also given certain directions. This specific thing is not there in the Act. It is for the State authorities to decide and act.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : एक मिनट मेरी बात सुन लें। बात ठीक नहीं हो रही है। केन्द्रीय सरकार का यह नियम है कि वह बेरोजगारों के रोजगार के लिए हर बात में कोई न कोई सुविधा देती है।

मेरा निवेदन यह है कि परमिटों के बारे में भी केन्द्रीय सरकार का यह निर्देश है। इसलिए बस और ट्रक्स के परमिटों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार को यह निर्देश क्यों नहीं दिया कि उनको निश्चित संख्या में परमिट दें? यह निर्देश क्यों नहीं दिया गया? यह होना चाहिए और इस बारे में मन्त्री जी जरूर कहें।

श्री सभापति : आप बैठिए। उनको इत्मीनान ही नहीं हो रहा है।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: This is for the State Government to decide.

श्री सभापति : स्टेट गवर्नमेंट सबजैक्ट यहां लेकर के बैठे हैं।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय सभापति जी, कल भी यह प्रश्न आया था और उत्तर में सरकार ने यह माना था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की संख्या गरीबी की रेखा के नीचे और दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए.....

श्री सभापति : कोई खास इंतजामात।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : ...देश की इकानमी की मेनस्ट्रीम में उनको लाया जा सके और वह गरीबी और पिछड़ेपन से अपना पीछा छुड़ा सकें। क्या ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है कि उनको कम से कम 33 प्रतिशत सुरक्षित परमिट उनके लिए रहें, ताकि वह भी भारत के आर्थिक विकास का आनन्द ले सकें और उसमें भागीदार बन सकें?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, there is no reservation that way. Again I repeat, it is for the State Government, the State transport authorities, to fix these things. In the Act, Centre has not been given anything.

MR. CHAIRMAN: I think we will finish it with this now.

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्राय: शिक्षित बेरोजगारों के लिए जिन सुविधाओं का आश्वासन दिया जाता है, वे सुविधाएं कागज पर तो भले ही सुलभ हों; व्यवहार में उनको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। शिक्षित इंजीनियरों को अपना रोजगार या कामकाज स्थापित करने के लिए कोई आश्वासन दिये गये थे पर मैं ऐसे उदाहरण जानता हूं कि तीन-तीन वर्ष तक उनको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और दूसरे से तीसरे और चौथे दफ्तर तक भटकना पड़ता है इसके पहले कि वे अपना काम शुरू कर सकें।

तो इस विशिष्ट सन्दर्भ में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिक्षित बेरोजगार परमिट प्राप्त करेंगे, उस परमिटों का उपयोग करके वे कुछ काम में ला सकें, इसके लिए भी उन्हें समय पर सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है या खाली एक कागज पकड़ा कर उन्हें घर भेज दिया गया है?

श्री सभापति : कागज पकड़ा कर डिग्री तो यूनिवर्सिटी भी दे देती हैं और घर भेज देती है।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, again I will have to repeat that it is the State Government that has to formulate all these things.

MR. CHAIRMAN: The point is, what the employment openings are for these people and whether there is any effort made.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, the State Governments are making their own efforts, and the Madhya Pradesh Government also may be making efforts. We have asked for some information, the list and all that, from the Madhya Pradesh Government. We have not got it.

DR. BHAI MAHAVIR: It is a question of all-India permits, and I suppose

where Central areas are concerned, as for example in Delhi, they must be having some norms which are applicable to States as well as to Central territories, i.e. for person is given permits in a Central territory. Do they have any such arrangements which would correspond to similar arrangements in a State?

श्री सभापति : उसमें चाहते क्या हैं कि उनको परमिट के साथ एक बस भी दे दी जाए।

डा० भाई महावीर : नहीं, साहब कागज पर तो वे सवारी नहीं कर सकेंगे और न वे कागज को चला कर रोजगार ही कमा सकते हैं।

श्री सभापति : यह तो रोज हो रहा है, 21 हजार डिग्रियां मिल जाती हैं और उनको कागज पकड़ा देते हैं, नौकरी नहीं मिलती।

डा० भाई महावीर : इसीलिए, महोदय, ये डिग्री के जैसे ही हैं—जहां पर परमिट की व्यवस्था की जाती है वहां जरूरी है वे उस परमिट से रोजगार कमाने लायक हो सकें। अगर वे रोजगार कमाने लायक हो सकें, तो वे उसे बेच देंगे और एक तरह का बेनामी बिजनेस शुरू हो जाएगा।

श्री सभापति : यह अनफार्चुनेटली सिटुएशन है कि जो ट्रेनिंग पाते हैं, उनके लिए ओपनिंग नहीं रहती। अगर आप उसमें जरा नम्बर दर्ज कर दें... **(व्यवधान)**

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, यही समस्या है कि सुविधा तो आप दें और वह सुविधा बेनामी तरीके से या तो बिक जाए या किराए पर उसको लेकर कोई दूसरा इस्तेमाल करे, क्या इस तरह से इस योजना का पर्पज पूरा हो जाएगा ?

श्री सभापति : मालूम नहीं। क्या ड्राइविंग लाइसेंस बिकते हैं ? अब तो तस्वीर लगती है।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Here and there certain misuse of these permits has come to our notice. We have directed the States to take action. It is for the State Governments essentially to implement this.

DR. BHAI MAHAVIR: I am sorry, Sir. He is not appreciating my point. It is not a question of misuse.

श्री सभापति : माफ करिये; आप के सवाल का जवाब हो गया। मिस्टर कुलकर्णी।

SHRI A. G. KULKARNI: May I know from the hon. Minister whether his Ministry has received complaints from various State Governments, including Madhya Pradesh, that the issue of national permits is overlapping the routes undertaken by the State Road Transport Corporations and thereby the earnings or profits of the State Road Transport Corporations are always suffering? Has the Minister received any such complaint? Or, does he know whether there is such a genuine complaint? If so, what steps are envisaged?

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I have no specific information about any particular State. Here and there we have received certain things. Periodically our officers meet and discuss and solve that type of problems. I do not have information about any specific State. I can send it to the Member.

MR. CHAIRMAN: Question No. 358.

Central Aid for voluntary Organisations in Andhra Pradesh

*358, SHRI V. C. KESAVA RAO: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) what was the amount given to the Government of Andhra Pradesh for disbursing to voluntary organisations which are running a number of children homes and orphanages;